

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**आदेश**

सं० सं०-17/विविध-01-245/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थान में कार्यरत निम्नांकित बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक को कॉलम-06 में अंकित प्रयोजन हेतु विभागीय आदेश सख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र सख्या-915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के तत्काल बाद विभागीय आदेश सख्या-178(17), दिनांक-07.02.2026 के आलोक में बॉण्ड सेवा पूर्ण करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे -

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
01	NISHANT KUMAR	Oct 28 1993	1760(2) 30-10-2025	TRAUMA CENTER, MOKAMA, PATNÁ	NEET- SS- 2025

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक तथा संबंधित चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17 विविध-01-245/2025 - 215/171

पटना, दिनांक :- 17/02/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित बॉण्ड चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/संबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।